सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, (लोक अदालत), दौसा

पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 44/2008

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, लवाण ..प्रार्थी

बनाम

ग्यारसा पुत्र गंगाराम जाति बैरवा साकिन लवाण ..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4)
भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थिति–1. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार
2. श्री जगजीवनराम अधिवक्ता अप्रार्थी के वारिसान की ओर से

निर्णय दिनांकः 16.05.2018

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आ0ख0नं0 5180 रकबा 0.76 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण उप तहसीलदार, लवाण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पो0 को तलब किया गया । माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान सरकार (राजस्व ग्रुप–1) विभाग के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन कर प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया ।

अधिवक्ता अप्रार्थी श्री जगजीवनराम द्वारा दिनांक 02.01.2017 को अप्रार्थी के वारिसान की ओर से वकालतनामा पेश किया गया व दिनांक 14.03.2017 को एक प्रा0 पत्र मय अप्रार्थी का मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रति पेश की। अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में बताया कि यह प्रा0 पत्र मृत व्यक्ति के खिलाफ पेश किया गया जबकि ग्यारसा की मृत्यु दिनांक19.10.78 को हो गई। इसलिए प्रा0 पत्र चलने योग्य नहीं है। साथ ही प्रकरण लोक अदालत की भावना से निपटाने हेतु निवेदन किया। राजकीय अधिवक्ता ने इसमें सहमति प्रदान की। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया कि जब वारिस प्रकरण में आगये तो अब उनके नाम से प्रकरण बनाया जाना चाहिए। प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर लोक अदालत की भावना के अनुसार उप तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार उप तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार, लवाण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी के वारिसान द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की जा रही हो, तो पुनः उनके नाम प्रकरण बनाकर पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 16 मई, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा